

कार्यालय अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ललितपुर

पत्रांक 2966

/वि०वि०ख०-द्वि०(ल०)/राजस्व

दिनांक 07/07/23

विषय- प्राक्कलन की (निरुपण पत्र) टी०सी० धनराशि जमा कराने के सम्बंध में।

प्रोजेक्ट टी०सी०

श्री वीर सिंह पुत्र श्री वारेलाल

ग्राम महरौनीखुर्द जिला ललितपुर।

186/2023-24

कार्य का निवहरण- निजीनलकूप पूर्ण योजना में 8 एच०पी० का विद्युत संयोजन देने का कार्य।

पी०टी०डब्लू० पूर्णजमा योजना

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये के अनुपालन उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्राक्कलन/टी०एफ०आर० के अनुसार टी०सी० का विवरण निम्नवत् है।

01 लाइन चार्ज

रु० 144615.00

02 जमानती धनराशि

रु० 2400.00

कुल योग रु

147015.00

सर्विस केबिल उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार कथ कर लें, सर्विस केबिल की धनराशि प्राक्कलन में नहीं ली गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त टी०सी० की धनराशि तीन माह (90 दिन) के अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराना सुनिश्चित करें-

4. इकाई पर स्थापित मशीनरी की घोषणा फार्म 'ए' तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।

5. इकाई पर कार्य की पूर्णता एक परीक्षण फार्म 'बी' एण्ड 'एल' तीन प्रतियों प्रस्तुत करें।

6. अपने परिसर पर... के०बी०ए०आर० का शट कैपीसिटर स्थापित करवा कर एवं टैस्ट अपने अनुज्ञाकारी ठेकेदार (विद्युत ठेकेदार) के उसका पूर्ण बी०एण्ड०एल० फार्म में आवश्यक रूप से अंकित कराये तथा उसके कैंश- मीमो की छायाप्रति जमा करायें।

7. 100 रु० के नॉन जुडीषियल स्टाम्प लेकर अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी भी दिन कार्य दिवस में दो गवाहों के साथ उपस्थित हो।

8. स्टेट बैंक या ट्रेजरी में 045 विद्युत कर भारतीय नियमावली के अन्तर्गत फीस गद में नियमानुसार जमा करें एवं चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

9. इकाई को चलाने हेतु सम्बंधित शारान/जिला परिषद, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया या केन्टोमेन्ट का लाइसेन्स प्रस्तुत करें।

10. इस आशय का लिखित पत्र प्रस्तुत करें कि जिस मकान में इकाई स्थापित की जा रही है वह मकान आपका अपना निजी है किरायदार की स्थिति में मकान मालिक की स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा मकान के हाउस टैक्स की रसीद की छायाप्रति भी जमा करें।

11. दो स्थापित फोटो जमा करें।


20. यदि आपकी संख्या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/लिमिटेड कम्पनी है तो अर्टिकल्स एवं मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन की स्थापित प्रतिलिपि जमा करानी होगी तथा अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पूर्व वैधानिक पावर ऑफ एटोनी भी जमा करानी होगी। पार्टनरशिप डील की पंजीकृत छायाप्रति प्रेषित करें।

नोट-11 KV लाइन व 25 KV। परिवर्तक स्थापित करते समय किसी भी प्रकार की आपत्ति/व्यवधान का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा, अन्यथा की रिश्ति में आपके द्वारा जमा की गई निरुपण पत्र (टी०सी०) की धनराशि न तो बिल में समायोजित की जायेगी, और न ही वापिस की जायेगी।

जब तक राश्या निर्गत नही होगी जबतक स्टीमेट ईआरपी (ऑनलाइन प्रकिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा।

पैसा जमा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेट ऑनलाइन प्रकिया से बना है या नहीं अगर नहीं तो पैसा जमा न करें।

उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नही होने पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इस पत्र के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर यदि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नही होने पर बिना किसी अन्य नोटिस के आपकी विद्युत गार स्वीकृति रद्द की जायेगी। जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


अधिशारी अभियन्ता